22-04-18

फरियादी अतेन्द्र सहित अधिवक्ता श्री डी०एस० गुर्जर। अभियुक्तगण सहित अधिवक्ता श्री बी०एस० गुर्जर।

िउभयपक्ष ने उपस्थित होकर राजीनामा करना बताया। अतः प्रकरण आज पेशी में लिया गया।

फरियादी की ओर से राजीनामा हेत् अनुमति आवेदन पत्र मय लोक अदालत डॉकेट हस्ताक्षर कर मय पहचान पत्र प्रस्तुत किया गया। फरियादी की पहचान अधिवक्ता श्री डी०एस० गुर्जर एवं अभियुक्तगण की पहचान अधिवक्ता श्री बी०एस० गूर्जर ने की।

उभयपक्षों को सुना। प्रकरण का अवलोकन किया।

फरियादी ने अभियुक्तगण से राजीनामा बिना किसी भय, दवाब, लोभ-लालच के पारस्परिक संबधों को मधुर रखने के आशय से किया जाना प्रकट किया है।

अभियुक्तगण पर भादवि० की धारा २९४, ३२३, ५०६ भाग दो के अधीन दण्डनीय अपराध का अभियोग है। उक्त धारा का आरोप न्यायालय की अनुमति से फरियादी द्वारा शमनीय है। पीठ सदस्यगण द्वारा प्रकरण में राजीनामा स्वीकार किए जाने की अनुशंसा की गयी। पक्षकारों के मध्र संबंध रखने के आशय एवं सामाजिक शांति बनाये रखने के आपराधिक प्रशासन के उददेश्य को ध्यान मे रखते हुये राजीनामा आवेदन स्वीकार किया जाना न्यायोचित दर्शित होता है।

अतः राजीनामा बाद तस्दीक मय आवेदन पत्र के स्वीकार किया जाता है। अभियुक्तगण को धारा 294, 323, 506 भाग दो भा0द0वि० के अपराध आरोप से राजीनामा के आधार पर उपशमन की अनुमति प्रदान की जाती है जिसका प्रभाव अभियुक्तगण की दोषमुक्ति होगा। अभियुक्तगण के प्रतिभूति व बधपत्र भारमुक्त किए जाते है।

> प्रकरण में कोई संपत्ति जब्त नहीं। आगामी दिनांक निरस्त की गयी। आदेश की प्रति पक्षकारों को निःशुल्क प्रदाय की जावे। प्रकरण का परिणाम सुसंगत पंजी में दर्जकर अभिलेखागार भेजा जावे।

सदस्य

पीठासीन अधिकारी